INDIA NON JUDICIAL

25000 रुपये

1

336610

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय-पत्र

बैनामा अंकन 30,60,000/- रूपये।

स्टाम्प अंकन 2,45,000/- रूपये।

विवरण विक्रय सम्पत्तिः- कृषि भूमिधरी के आकार पत्र 23 के अनुसार चक नं0 106 खेत नं0 446/1 रकबा 1-1-0 पुख्ता व खेत नं0 446/2 रकबा 1-9-0 पुख्ता व खेत नं0 447/1 रकबा 0-10-0 पुख्ता व खेत नं0 447/2 रकबा 4-15-0 पुख्ता व खेत नं0 447/3 रकबा 0-15-0 पुख्ता कुल 5 खेत रकबई 8-10-0 पुख्ता लगानी रूपये 68-65 पैसे सालाना का 1/4 भाग सम्पूर्ण अपना बकदर 2-2-10 पुख्ता जिसे मैंने बैनामा द्वारा क्रय किया था, जिसको बैनामा हाजा में बेचा गया है स्थित ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

- 7 APR 2007

स्टाम्प नं0 26 स्टा0 25 सीन........
.........नं0 .... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

[illegible handwritten endorsement] 1202 [illegible]
[illegible] 2007 [illegible]
[illegible]

कमीशन 30,60000/- .... फीस रजिस्ट्री [illegible]
नकल .... फीस [illegible] .... शुल्क लगभग 600/-
श्री .... [illegible] रानी ....
पुत्र श्री ... [illegible] मोहन ... [illegible]
निवासी ...... [illegible] वाली गली दादरी
ने कार्यालय उप निबंधक दादरी जिला
गौतम बुद्ध नगर में आज दिनांक ......[illegible]07
समय मध्य ...3... बजे .... प्रस्तुत किया।

रानी गर्ग [signature] उप निबंधक दादरी
[illegible]

इस लेखपत्र का संपादन एवं इसमें लिखे
जरेबदल मु0 ...... 30,60000/- [illegible]
जिसमें से ....
नगद मेरे समक्ष पाकर उक्त श्री [illegible] रानी [illegible] ने
.... [illegible] श्री [illegible] 1202
[illegible] द्वारा
[illegible] त्यागी [illegible]
[illegible] को स्वीकार किया

[round seal: illegible]

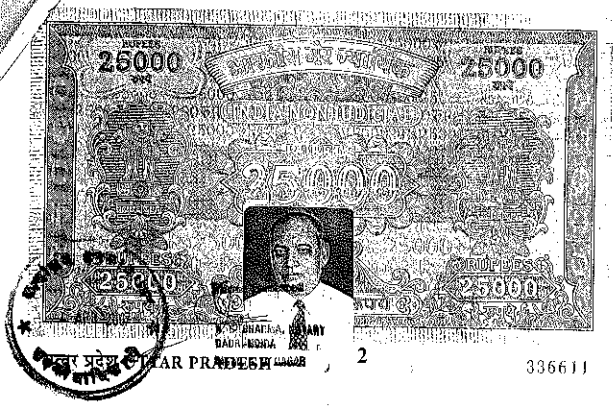

INDIA NON JUDICIAL

25000

UTTAR PRADESH

2

336611

विक्रेता एवम् क्रेता दोनों अनुसूचित जाति एवं जनजाति से नहीं है।

विक्रीत भूमि ग्राम समाज पट्टे व भूदान पट्टे आदि की नहीं है। संक्रमणीय भूमिधरी दर्ज है।

विक्रीत भूमिधरी भूमि जिसका सर्किल रेट 16,00,000/- रूपये प्रति हैक्टेयर का है। किन्तु क्रेता द्वारा सर्किल रेट से अधिक पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

विक्रीत भूमि किसी जी0टी0रोड, राज्य रोड अथवा लिंक रोड पर स्थित नहीं है

विक्रीत भूमि की बाबत क्रेता व विक्रेता दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा माहदा बय पंजीकृत नहीं हुआ है।

कार्यालय उप पंजीकार
दादरी

- 7 APR 2007

वालम नं0 ... 30 ...
जिल्द नं0 36 में शामिल किया गया
उप पंजीकार

... निष्पादन श्री ...
पुत्र श्री ...
निवासी ...
व श्री ...
पुत्र श्री ...
निवासी ...
ने की

सब रजिस्ट्रार दादरी
11/4/07

साक्षी गण ...

साक्षी गण ... होते हैं कि ...
... निशानी ... लिये गये ...

11/4/07

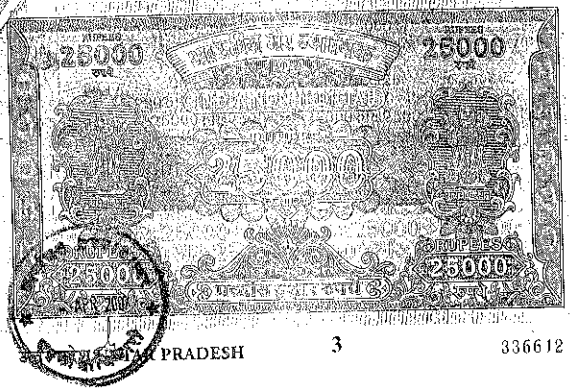

UTTAR PRADESH 3 336612

हम कि श्रीमती रानी पत्नी श्री बृज मोहन जाति वैश्य, निवासी चेयरजीन वाली गली, कस्बा दादरी, परगना व तहसील दादरी, जनपद- गौतमबुद्धनगर। (विक्रेत्री, फरीक अव्वल)।

एवम्

मैसर्स सिद्धि विनायक इन्फ्राकॉन प्राईवेट लिमिटेड, 1202 अन्तरिक्ष भवन, 10वां तल, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली 110001 द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरी गीता राम त्यागी पुत्र स्व0 श्री दाताराम त्यागी निवासी के0एल0 57 कवि नगर गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) (क्रेता फरीक दोयम)।

रानी जाट

कार्यालय उप कोषागार
[illegible]

- 7 APR 2007

स्टाम्प नं0....3.8 आ0 2.3......
स्तम्भ नं0.....36.....में शामिल किया गया

उप रोकड़िया

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4

336613

विदित हो कि कृषि भूमिधरी के आकार पत्र 23 के अनुसार चक नं0 106 खेत नं0 446/1 रकबा 1-1-0 पुख्ता व खेत नं0 446/2 रकबा 1-9-0 पुख्ता व खेत नं0 447/1 रकबा 0-10-0 पुख्ता व खेत नं0 447/2 रकबा 4-15-0 पुख्ता व खेत नं0 447/3 रकबा 0-15-0 पुख्ता कुल 5 खेत रकबई 8-10-0 पुख्ता लगानी रूपये 68=65 पैसे सालाना का 1/4 भाग सम्पूर्ण अपना बकदर 2-2-10 पुख्ता जिसे मैंने बैनामा द्वारा क्रय किया था, जिसकी बैनामा हाजा में बेचा गया है स्थित ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर, जिसका फरीक अव्वल एकमात्र

कार्यालय उप कोषागार
[illegible]

- 7 APR 2007

[illegible] सं0...3[illegible]...सं0 [illegible]
[illegible] सं0...36...से शामिल किया गया
[illegible]

5

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

336614

मालिक व संक्रमणीय भूमिधर स्वामी है। जोकि आज दिन तक फरीक अव्वल की ओर से हर प्रकार के भार, बंधक आदि से पाक साफ व सुरक्षित है। यानि कि किसी भी स्थान पर आड़, रहन, बय, हिबे, माहदाबय, जमानत आदि से ग्रस्त नहीं है तथा उपरोक्त भूमि की बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद विवाद विचाराधीन नहीं है तथा फरीक अव्वल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति हकदार या हिस्सेदार नहीं है। कोई कारण बाधा का उपरोक्त भूमिधरी भूमि को विक्रय करने में नहीं आता है। अतः फरीक अव्वल ने अपनी समस्त शुद्ध बुद्धि व स्थिर चित्त की दशा में खूब सोच समझ कर

कार्यालय उप कोषागार

- 7 APR 2007

स्टाम्प नं0 ....

स्टाम्प नं0 .... में स्थापित किया गया

उप कोषाधिकारी

बिना किसी दबाव व बलप्रयोग के उक्त भूमि को सर्व अधिकार सहित आज की बजारू कीमत के बदले अंकन रूपये 30,60,000/- (तीस लाख साठ हजार रूपये मात्र) जिसके आधे अंकन रूपये 15,30,000/-होते है में इसी समय से हाथ उपरोक्त फरीक दोयम को बेच दी तथा कतई वय कर दी तथा समस्त विक्रीतधन अर्थात भूमि की कुल कीमत निम्नलिखित अनुसार प्राप्त करके बेची भूमि को कब्जे अधिकार अपने से फरीक दोयम में देकर उस पर फरीक दोयम को अपने ही समान मालिकाना मालिक काबिज व दखिल कर दिया है। अब बैय किये पश्चात विक्रीत भूमि के किसी भी अंश से फरीक अव्वल व

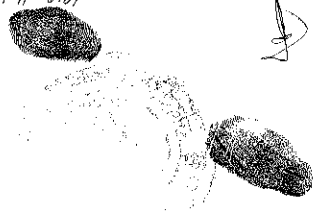

- 7 APR 2007
नं0 ...
नं0 ... में शामिल किया गया

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7

336616

वारिसान फरीक अव्वल का कोई वास्ता या ताल्लुक किसी भी किस्म का शेष नहीं रहा है तथा ना ही भविष्य में होगा। कब्जा मौके पर फरीक दोयम को बहैसियत मालिक पूर्ण रूप से करा दिया है। अब आज की तारीख से ही फरीक दोयम को सर्वथा हक व अधिकार होगा कि वह खरीदकर्ता कृषि भूमिधरी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग मालिकाना अपने में लाकर चाहे जिस प्रकार से मालिकाना लाभ उठावें। यदि विक्रीत भूमि का कोई अंश किसी भी नुक्श कानूनी कमी आदि के कारण से कब्जे मालिकाना क्रेता फरीक दोयम से निकल जावेगा या कब्जा फरीक दोयम को न मिले या फरीक अव्वल

कार्यालय उप कोषागार
[illegible]
7 APR 2007
स्टाम्प नं0 ....
स्टाम्प नं0 .... में शामिल किया गया
[illegible]

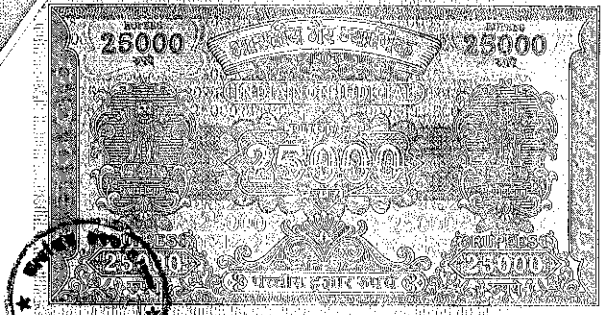

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

पच्चीस हजार रुपये

8

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

336617

मालिकाना मालिक हस्ताक्षरकर्ता सिद्ध न हुआ या अन्य किसी कारण से कब्जे मालिकाना फरीक दोयम से कुल या आंशिक रूप से निकल जावेगी तो हर ऐसी दशा में फरीक दोयम को हक होगा कि वह उस समय की बजारू कीमत को जिस प्रकार चाहे बजरिये अदालत फरीक अव्वल व वारसान फरीक अव्वल की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से वसूल कर लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। दाखिल खारिज बैनी भूमिधरी का बनाम फरीक दोयम के करा दूँगा या फरीक दोयम इस विक्रय पत्र के आधार पर सरकारी अभिलेखों में अपना नाम स्वयं दर्ज करा लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। विक्रीत भूमि कृषि भूमि है तथा आस-पास भी कृषि भूमि है।

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

- 7 APR 2007

स्टाम्प नं० 13 रु० 2...
स्टाम्प नं० 36 में शामिल किया गया
उप कोषाधिकारी

उप सब रजिस्ट्रार दादरी

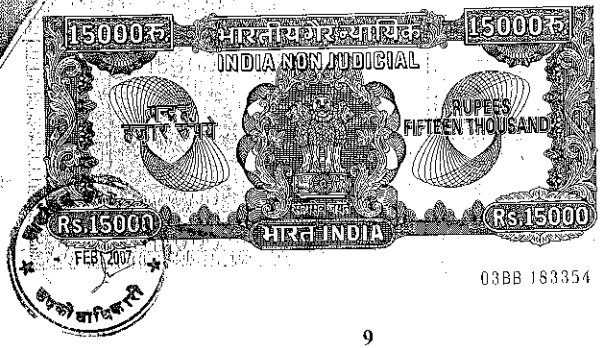

03BB 183354

9

विवरण धन अदायगी :– 30,60,000/- रूपये पेशगी फरीक अव्वल (विक्रेता) ने फरीक दोयम (क्रेता) से प्राप्त कर लिये। अब कोई पैसा विक्रेता का क्रेता की ओर बाकी नहीं रहा है।

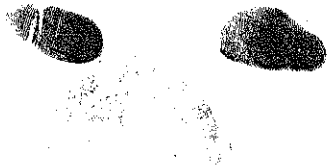

[illegible]

– 7 APR 2007

.... नं0 .... में शामिल किया गया

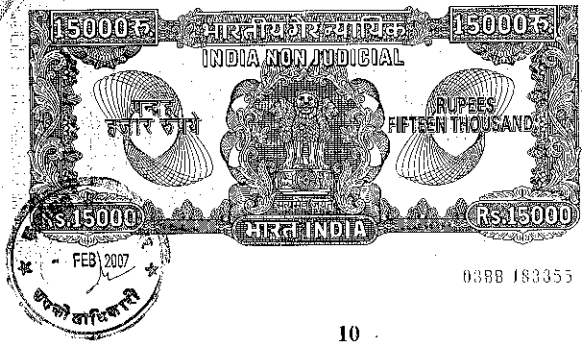

उपरोक्त लिखित दस्तावेज फरीक अव्वल व फरीक दोयम की जानकारी के आधार पर तैयार की गयी। दस्तावेज पर चस्पा फोटो गवाहों के कथन पर सत्यापित है। खेत का फोटो संलग्न है।

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

- 7 APR 2007

स्टाम्प सं0 ...45...800...की... स्टाम्प
स्टाम्प सं0 ...36... में शामिल किया गया

उप रोकड़िया

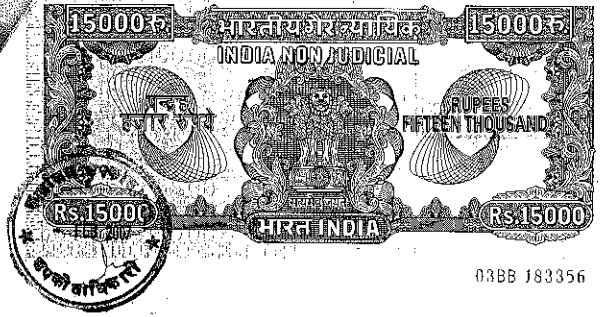

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.
INDIA NON JUDICIAL
पन्द्रह हजार रुपये RUPEES FIFTEEN THOUSAND
सत्यमेव जयते
Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 183356

11

अतः यह विक्रय पत्र कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे। इति।।

रामवती

गवाह – 1
सन्तराम S/o सुखवीर
गांव बील अकबरपुर

गवाह – 2 हरिओम
हरिओम पुत्र ओमप्रकाश
नि० तुगलपुर

तारीख 11-04-2007ई0 मसौदाकर्ता **राधेश्याम अग्रवाल,** बैनामा लेखक, दादरी (गौतमबुद्धनगर) **लाइसेन्स नं0–1**

राधेश्याम अग्रवाल
बैनामा लेखक,
तहसील-दादरी
गौतमबुद्धनगर

- 7 APR 2007

स्टाम्प नं0 ...... में स्कैनिंग किया गया

उप रोकड़िया

आज दिनांक 11/4/07 को फोटोस्टेट प्रति पुस्तक संख्या 1 खण्ड संख्या 609 के पृष्ठ 67 — 88 पर क्रम संख्या 5649 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक

दादरी